## कार्यकारी सार

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सीमाशुल्क प्राप्तियाँ पिछले वित्तीय वर्ष से सात प्रतिशत तक बढ़ गई थी और ₹ 2,25,370 करोड़ पर रही। संग्रहीत सीमाशुल्क का जीडीपी में अनुपात 1.48 प्रतिशत था। निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के कारण एवं सामग्रियों पर वित्तीय वर्ष 2016-17 में छोड़ा गया शुल्क ₹ 3,87,539 करोड़ था।

इस रिपोर्ट में 85 करोड़ के राजस्व वाले 99 पैराग्राफ है। 30 करोड़ के मौद्रिक मूल्य सहित 77 पैराग्राफों में विभाग /मंत्रालय द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी करने, कारण बताओं नोटिस के निर्णय एवं ₹ 19 करोड़ की वसूली के रूप सुधारात्मक कार्यवाही अभी तक की गई है।

यह रिपोर्ट पॉच अध्यायों में विभाजित है। रिपोर्ट का अध्याय एक, एक ओर तो सीमाशुल्क प्राप्तियों की प्रवृति एवं वृद्धि प्रवाह की एक समीक्षा प्रदान करता है, दूसरी ओर सीमाशुल्क अधिनियम एवं नियमों तथा भारत की विदेशी व्यपार नीति (एफटीपी) के कार्यान्वयन में निहित मंत्रालय के प्रशासनिक ढांचे एवं कार्यों का संक्षिप्त विवरण है। अध्याय दो से पांच तक व्यापक श्रेणियों नामश: शुल्क छूट/रियायत योजनाओं में अनियमितताएं, सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत कार्यान्वयन, उपयुक्त कर एवं अन्य प्रभारों की कम/गैर वूसली एवं माल का गलत वर्गीकरण् के तहत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उजागर करने वाले पैराग्राफ निहित हैं। सभी मामले जहां मंत्रालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है एवं सुधारात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है को अनुबंध में सूचित किया गया है।

रिपोर्ट में सात अनुबंध हैं।

अध्याय I: सीमाशुल्क राजस्व

- वि.व. 2017 के दौरान आयातों ने 3.5 प्रतिशत की वृद्धि पंजीकृत की जबकि निर्यातों ने 7.92 प्रतिशत की वृद्धि पंजीकृत की। सीमाशुल्क प्राप्तियां उस अवधि में सात प्रतिशत पर बढ़ी।

***{पैराग्राफ 1.6}***

- **सीमाशुल्क प्राप्तियां जीडीपी के एक अनुपात, सकल कर राजस्व एवं सकल अप्रत्यक्ष कर के तौर पर वि.व. 2016 की तुलना में वि.व. 2017 में घट गया।**

***{पैराग्राफ 1.8}***

- **सीमाशुल्क प्राप्तियों के प्रतिशत के तौर पर छोडा गया राजस्व वि.व. 17 में 172 प्रतिशत था। छह निर्यात प्रोत्साहन एवं रियायत योजनाओं के अंतर्गत छोडा गया राजस्व कुल छोडे गए राजस्व का 96 प्रतिशत था।**

***{पैराग्राफ 1.10 और 1.11}***

**अध्याय II: शुल्क छूट/रियायत योजनाओं में अनियमितताएं**

- ***लेखापरीक्षा ने एफटीपी के अध्याय 3 के अन्तर्गत जारी लाइसेंसों की नमूना जांच में संभावित धोखाधड़ी दर्शाने वाली स्क्रिप के पंजीकरण/स्क्रिप के प्रयोग में हेराफेरी के विभिन्न तरीको के माध्यम से ड्यूटी क्रेडिट का अनुचित प्रयोग नोटिस किया। लाइसेंस के अनुचित प्रयोग से जुडी राशि ₹ 4.97 करोड़ थी।***

***{पैराग्राफ 2.1.1 से 2.1.3}***

- **₹ 41.53 करोड़ का राजस्व आयातको/निर्यातकों द्वारा देय था जिन्होंने शुल्क छूट योजनाओं का लाभ उठाया था लेकिन निर्धारित दायित्व/शर्तें पूर्ण नहीं की थीं।**

***{पैराग्राफ 2.2.1 से 2.7.1}***

**अध्याय III: सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत कार्यान्वयन**

- ***चार मामलों की नमूना जांच में, लेखापरीक्षा ने जाली दस्तावेजों के आधार पर सीमाशुल्क के अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) के ₹ 57 लाख के राजस्व की वापसी नोटिस की।***

***{पैराग्राफ 3.1.1 से 3.1.4}***

- लेखापरीक्षा ने ₹ 16.78 करोड़ के कुल राजस्व प्रभाव वाली छूट अधिसूचनाओं को अनुचित रूप से लागू करने के 13 मामले नोटिस किये। इनमें से, विभाग ने ₹ 4.20 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले दस मामले स्वीकार किए थे और सात मामलों में ₹ 2.15 करोड़ की वसूली रिपोर्ट की थी।

*{पैराग्राफ 3.2 से 3.5}*

अध्याय IV: उपयुक्त कर और अन्य प्रभारों की कम/गैर वसूली

- लेखापरीक्षा ने ₹ 15.03 करोड़ के कुल राजस्व प्रभाव से जुडे लागू शुल्क और अन्य प्रभारो की कम/गैर-वसूली के 22 मामले नोटिस किये। इनमें से विभाग ने ₹ 12.20 करोड़ के कर प्रभाव के 20 मामले स्वीकार किए थे और 14 मामलों में ₹ 7.97 करोड़ की वसूली रिपोर्ट की थी। यह मामले मुख्य रूप से मूल सीमाशुल्क की कम उगाही, लागू एंटी डंपिंग शुल्क लगाये बिना मंजूर किए गए आयात, लागत वसूली प्रभारो के कम निर्धारण और गैर-वसूली के कारण शुल्क की कम उगाही के कारण थे।

*{पैराग्राफ 4.1 से 4.4.1}*

अध्याय V: माल का गलत वर्गीकरण

- 21 मामलों में, निर्धारण अधिकारी ने विभिन्न् आयातित माल का गलत वर्गीकरण किया जिसके कारण ₹ 6.12 करोड़ के सीमाशुल्क की कम उगाही/उगाही नहीं हुई। इनमें से विभाग ने ₹ 2.80 करोड़ के कर प्रभाव से जुडे 17 मामलों को स्वीकार किया और नौ मामलों में ₹ 67 लाख की वसूली रिपोर्ट की थी।

*{पैराग्राफ 5.1 से 5.7}*